

प्रदेश में औद्योगिक रफ्तार तेज, 32 हजार पार पहुंचे कारखाने

विशेष रात • जागरण

लखनऊ: प्रदेश में औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। निवेश के बेहतर माहौल का असर यह है कि राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या 32 हजार के पार पहुंच गई है। वर्ष 2022 के बाद से कारखानों के पंजीकरण में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है, जो राज्य में उद्योगों के विस्तार का संकेत है। अगले महीने प्रदेश में श्रम और उद्योगों के हित में नई नियमावली लागू होने वाली है, इसके बाद स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 32,231 कारखाने पंजीकृत हैं। मार्च 2017 तक यह संख्या 14,176 थी। अप्रैल 2017 के बाद से इसमें तेजी आई और अप्रैल 2022 से अब तक 13,204 नए कारखाने पंजीकृत हुए। वहीं सितंबर 2023 से अब तक

• निवेश माहौल बेहतर, पांच साल में रिकार्ड बढ़ोतरी

• कारोवारी सहूलियतों में श्रम सुधारों की भूमिका भी



10,414 कारखानों का पंजीकरण हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक 4,860 कारखाने पंजीकृत किए गए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 121 नए कारखाने जुड़ चुके हैं। इनमें श्रमिक भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,77,857 पुरुष और 23,941 महिला श्रमिक कारखानों

पांच वर्षों में पंजीकृत कारखानों की संख्या

2021-22	1,028
2022-23	1,492
2023-24	3,085
2024-25	3,446
2025-26	4,860

2026-27 (अब तक) 121 में पंजीकृत हुए। खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22,909 महिला श्रमिक कार्यरत हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इंज आफ इंडिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए श्रम विभाग ने कई सुधार किए हैं। महिलाओं को निर्धारित शर्तों के तहत खतरनाक प्रक्रियाओं और रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, फैक्ट्री अधिनियम के

क्षेत्रवार कारखानों की स्थिति (पिछला वर्ष)

पश्चिमी यूपी:	2,898 कारखाने	पुरुष 2,10,558	महिला 22,909
मध्य यूपी:	942 कारखाने	पुरुष 34,455	महिला 430
पूर्वी यूपी:	938 कारखाने	पुरुष 30,830	महिला 577
बुंदेलखंड:	82 कारखाने	पुरुष 2,014	महिला 25

श्रम नियमावलियों पर आज तक दे सकते हैं सुझाव

भारत सरकार द्वारा लागू वार नई श्रम संहिताओं के तहत प्रदेश सरकार ने नियमावली का मसौदा जारी किया है। दो संहिताओं पर सुझाव मिल चुके हैं, जबकि 'उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली 2026' और 'उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026' पर 23 अप्रैल तक आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मई में इनके लागू होने की संभावना है, जिससे उद्योगों और श्रमिकों के कार्य व सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं और स्पष्ट होंगी।

तहत सक्षम व्यक्तियों के प्रमाणपत्र आनलाइन कर दिए गए हैं। अब थर्ड पार्टी निरीक्षण, अनुपालन जांच और जोखिम आधारित निरीक्षण भी साफ्टवेयर के माध्यम से किए जा रहे हैं। वहीं, श्रम विभाग डाटा

गुणवत्ता में अव्वल है। मुख्यमंत्री के रियल टाइम 'दर्पण' डैशबोर्ड पर डाटा गुणवत्ता सूचकांक में श्रम विभाग सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है।

जल संरक्षण को लेकर कोका-कोला व इन्वेस्ट यूपी के बीच करार

सबू, जागरण • लखनऊ : राज्य में सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को गति देने के लिए कोका-कोला इंडिया कंपनी ने इन्वेस्ट यूपी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कंपनी जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन व पर्यटन को बढ़ाने में संबंधित विभागों की मदद करेगी।

एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद कंपनी की दक्षिण पश्चिम एशिया की उपाध्यक्ष (नागरिक मामलों व कम्यूनिकेशन) देवयानी आरएल राणा ने कहा कि कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण को मजबूत करने, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार लाने और सामुदायिक पहल के माध्यम से आजीविका को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

AGZTER